न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 76/2018/अपील/एलआरएक्ट/कोटा

दायरा दिनांकः 9.8.2018

अन्तर्गत धाराः 75 एलआरएक्ट

उनवान

छोटू लाल पुत्र सूरजमल जाति गूजर निवासी ग्राम किशनपुरा कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

...अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीलाल पुत्र सूरजमल जाति गूजर निवासी ग्राम किशनपुरा कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
2. जगन्नाथी बाई पुत्री सूरजमल पत्नी बंशी लाल जाति गूजर निवासी उम्मेदपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा।
3. संन्तोष बाई पुत्री सूरजमल पत्नी कन्हैयालाल जाति गूजर निवासी ग्राम देवकुई तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
4. मनभर बाई पुत्री सूरजमल पत्नी हरलाल जाति गूजर निवासनी नगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
5. चन्द्रकला बाई पुत्री सूरजमल पत्नी हेमन्तकुमार जाति गूजर निवासनी शिवपुरा भीतरियाकुण्ड के पास कोटा।
6. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा।

... रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित : श्री शंभूदयाल विजय अभिभाषक अपीलार्थी
श्री उत्तमचन्द खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पो0

:::निर्णय:::

दिनांक 28.1.2020

अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 5/15 छोटूलाल बनाम श्रीलाल मे पारित निर्णय दिनांक 3.4.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि खातेदार सूरजमल पुत्र भैरया (भेरूलाल) के दिनांक 17.2.2014 को फौत होने उपरांत उसके खाते स्थित आराजी ख0 नं0 655/1003, ख0 नं0 658 कुल किता 2 रकबा 1.60 है0 हिस्सा 1/2 वाके ग्राम जाखोडा तथा ख0 नं0 146, 362, 385/242 कुल किता 3 रकबा 6.44 है0 हिस्सा 5/48 वाकै ग्राम किशनपुरा को वसीयत के आधार पर तथा श्रीलाल द्वारा इन्तकाल दर्ज करने हेतु पृथक–पृथक आवेदन पत्र परीक्षण न्यायालय मे पेश किया गया। परीक्षण न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट उपरांत समस्त वारिसान एंव वसीयत के गवाहान को तलब किया जाकर प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेजो व तथ्यों का अवलोकन कर अप्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर मृतक खातेदार के नाम स्थित आराजी पर सूरजमल के स्थान पर समस्त सुलभी वारिसों का नाम दर्ज रिकार्ड किये जाने का दिनांक 3.4.2017 को निर्णय पारित किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसल होने से काबिल निरस्तनीय है। अपीलांट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार वसीयत को निर्विवाद रूप से साबित कर दिया था जिसे विचारण अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे साबित होना स्वीकार भी किया है ऐसी स्थिति मे जब वसीयत साबित हो चुकी थी तो उसके आधार पर नामान्तरकरण वसीयती उत्तराधिकारी छोटूलाल के पक्ष मे खोले जाने का आदेश पारित किया जाना चाहिये था जो परीक्षण न्यायालय ने नही कर कानूनी त्रुटि की है। परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट की अनुपस्थिति मे गुपचुप तरीके से आदेशिका लिख कर अप्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने के बावजूद भी बिना दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत के आदेश जेरअपील पारित करने मे कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने श्रीलाल को अनुचित लाभ पहुचाने की गरज से 25.4.2016 को आदेशिका के बाद श्रीलाल दस्तखत कराये गये है जो न्याय के नैसर्गिक सिदान्तो के सर्वथा विपरीत है। रेस्पो0 द्वारा दस्तावेज अपीलांट की अनुपस्थिति मे पेश किये गये तथा अपीलांट को जिरह करने का कोई अवसर नही दिया गया। उक्त वर्णित आराजी सूरजमल की स्वअर्जित आराजी है उसके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदी गई है जिसको वसीयत, दान, विक्रय करने का उसको पूर्ण अधिकार था। अधीनस्थ

न्यायालय इस महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान नही दिया कि सूरजमल की पत्नी नन्दूबाई की मृत्यु दिनांक 21.12.2016 को होगई थी उसके कायम मुकामान बनाये बिना जेरअपील आदेश पारित किया है कानूनन विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है क्योंकि कानूनन वारिसान को कायम मुकामा बनाये बिना मृतक के विरूद्ध कोई आदेश पारित नही किया जा सकता। जेरअपील आदेश की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 26.7.2018 को बताने पर होने पर नकल प्राप्त कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील पेश की गई है अतः डिले कन्डोन किया जाकर अपील स्वीकार कर जेरअपील आदेश दिनांक 3.4.2017 निरस्त किया जावे तथा मृतक सूरजमल की वसीयत के आधार पर उसकी स्वअर्जित आराजी का इन्तकाल अपीलांट के पक्ष मे खोले जाने की आाज्ञा प्रदान की जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक उभ्रय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त वर्णित आराजी सूरजमल की स्वअर्जित आराजी है उसके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदी गई है जिसको वसीयत, दान, विक्रय करने का उसको पूर्ण अधिकार था। सूरजमल द्वारा उसकी आराजी की वसीयत अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.4.2016 प्रकरण मे अतिंम अवसर प्रदान किया था उस रोज पत्रावली नही निकली गवाह जिरह के लिये उपस्थित थे। दिनांक 25.4.2016 को गलत रूप से 3.5.2016 तारीख अंकित कर रखी थी। उसके बाद सारी तारीखे एक साथ एक ही व्यक्ति द्वारा अंकिम कर अनुचित रूप से श्रीलाल को नाजायज फायदा पहुचाने की गरज से आदेशिका आलेखित की गई। जिसकी अपीलांट को कोई जानकारी नही है उक्त सभी कार्यवाहीयां एक पक्षीय रूप से की गई। गवाह सबूत का मौका नही दिया। भूमि स्वअर्जित है रजिस्ट्री से क्रय की है। पैतृक होना गलत माना है। जेरअपील निर्णय की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा बताने पर दिनांक 26.7.2018 को होने पर अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की गई। विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य मानते हुये अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जावे।

4 विद्वानल6अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे बताया कि विवादित आराजी पुश्तेनी होने से मृतक खातेदार को वसीयत करने का अधिकार नही था। मृतक खातेदार सूरजमल ने विवादित आराजी विक्रय पत्र से क्रय नही की है। विक्रय पत्र की छाया प्रति से स्पष्ट है कि विवादित आराजी मृतक सूरजमल के पिता भेरूलाल ने क्रय की थी। भैरूलाल की मृत्यु उपरांत विरासत मे उक्त आराजी मृतक सूरजमल को प्राप्त होकर दर्ज राजस्व रिकार्ड हुई है ऐसी स्थिति मे मृतक सूरजमल के प्रथम श्रेणी के वारिसान के नाम आना चाहिये। तहसीलदार ने विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करने का सही आदेश पारित किया है। वसीयत के वैधता का प्रश्न राजस्व न्यायालय द्वारा तय नही किया जा सकता। अपीलांट वसीयत के सम्बध मे अपने हक अधिकार सिविल न्यायालय से तय करावे। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। अपील खारिज की जावे। अपने पक्ष समर्थन मे आरआरटी (1) 2019 पेज 184 का न्यायिक उद्धरण पेश किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। विलम्ब अवधि क्षम्य हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का तथा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का रेस्पो0 द्वारा खण्डन नही किया गया तथा ना ही खण्डन मे कोई साक्ष्य सबूत पेश किये गये ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख राजस्व रिकार्ड एंव जेरअपील निर्णय दिनांक 3.4.2017 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी पैतृक होने से रेस्पो0/अप्रार्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत आवेदन पत्र को तहसीलदार लाडपुंरा द्वारा स्वीकार कर मृतक खातेदार सूरजमल के नाम ग्राम जाखोडा व किशनपुरा मे स्थित आराजी पर सूरजमल के स्थान पर समस्त सुलभी वारिसों का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने का दिनांक 3.4.2017 को निर्णय पारित किया है जिसमे हम किसी प्रकार की त्रुटि नही पाते है। जहां तक वसीयत के वैधता का प्रश्न है वसीयत के सम्बध मे न्याय निर्णय हेतु

केवल सिविल न्यायालय को अधिकारिता है। वसीयत की वैधता राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णित नही की जा सकती। इस संबध मे विद्वान रेस्पो0 अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरआरटी 2019 (1) पेज 184 प्रश्नगत प्रकरण मे चस्पा होता है। उक्त तथ्यों एंव न्यायिक नजीर के परिपेक्ष्य मे हम विचारण न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रकरण मे पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 3.4.2017 मे किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नही पाते है। परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 28.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा